

क

अधिशायीअभियन्ता  
लिफ्टसिंचाई खण्ड, 83/63 ए रामबहादुर  
रामचरणदासरोड, बलरामपुरहाउस  
मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद।

ब

निदेशकसूचना एवंजनसम्पर्कविभाग,  
उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:-1919/लि0सिं0ख0इला0/एम-1(नीलामी) /दिनांक, इलाहाबाद, दिसम्बर30/2017

विषय:-वाहन की नीलामीसूचनासंख्या-01/2017-18कोप्रकाशनके सम्बन्ध में।

बि

इस खण्ड की निष्प्रयोज्य ~~द्वि~~ एवी ~~की~~ की नीलामीसेसम्बन्धितसूचना की सातप्रतिसिडी एवंप्रपत्र  
संलग्नकरइसअनुरोध के साथआपकोप्रेषित की जा रही हैकीइसनीलामीसूचनाकोइलाहाबाद, कानपुर,  
वाराणसीमेंप्रकाशितहोनेवालेकिन्हीतीनसमाचार पत्रोंमेंदोदिवस के अन्तरालपरदोबार दिनांक-22.01.2018 के  
पूर्वप्रकाशितकराने की कृपाकरें।

बू

बू

अधिशायीअभियन्ता  
लिफ्टसिंचाई खण्ड,  
इलाहाबाद।

पत्रांक:-1919 /लि0सिं0ख0इला0/एम-1(नीलामी) /तदिनांक, 30/2017

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित है।

- 1-अपर आयुक्तप्रशासनमण्डल, इलाहाबाद।
  - 2-जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
  - 3-सम्भागीय परिवहनअधिकारी, इलाहाबाद।
  - 4-मुख्य अभियन्ता(नलकूप-वाराणसी) सिंचाईविभाग, उ0प्र0 वाराणसी।
  - 5-अधीक्षणअभियन्तालिफ्टसिंचाईमण्डल, वाराणसी।
  - 6-कम्प्यूटरकेन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्तासिंचाईविभाग लखनऊकोविभागीय वेबसाइटपरहेतु सी0डी0 सहित।
  - 7-अधीक्षणअभियन्ता, नलकूपमण्डल, इलाहाबाद।
  - 8-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबादकोदिनांक 22.01.2018 को समय 03 बजेसुरक्षाव्यवस्थाउपलब्ध कराने केसम्बन्ध में।
  - 9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
  - 10-अधिशायीअभियन्तानलकूप खण्डप्रथम, द्वितीय, तृतीय एवंलघुडालनहर खण्ड, इलाहाबाद।
  - 11-सहायकअभियन्ताप्रथम, तृतीय, चतुर्थलिफ्टसिंचाई खण्ड, इलाहाबाद।
  - 12-नोटिस बोर्डहेतु।
- संलग्नक:-नीलामी की सूचना

अधिशायीअभियन्ता

लिफ्टसिंचाई खण्ड,  
इलाहाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
लिफ्टसिंचाई खण्ड, इलाहाबाद।

पत्रांक:-1919/लि0सिं0ख0इ0/एम-1(नीलामी)/दिनांक,इलाहाबाद, दिसम्बर30/2017

**सार्वजनिकनीलामी सूचना संख्या-01/2017-18**

सर्वसाधारणको सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नलकूप वाराणसी के पत्रांक सं0 9677/न0वा0/एस-16(एम)/दिनांक 18.11.2017 द्वारा नीलामी हेतु स्वीकृति जो अधीक्षण अभियन्ता लिफ्टसिंचाई मण्डल, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक 3913/लि0सिं0म0वा0/दिनांक 30.11.2017 के माध्यम से प्राप्त वाहन ट्रक संख्या-यू0एच0वी0-305 एवं जीप संख्या-यू0पी070ए-5063 की नीलामी निचे अंकित विवरण के अनुसार दिनांक 22.01.2018 को कार्यालय सहायक अभियन्ता चतुर्थ, लिफ्टसिंचाई खण्ड, नलकूप कालोनी बघाड़ा इलाहाबाद के प्रांगण में सांय 3.00 बजे गठित समिति के समक्ष नीलामी की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है तथा नीलामी में भाग लेने के पूर्व प्रत्येक बोली दाता आवेदन प्रपत्र समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20.01.2018 दोपहर 12 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर कैशियर से प्राप्त किया जायेगा तथा आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 20.01.2018 सांय 5.00 बजे तक धरोहर धन राशि नगद बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता लिफ्टसिंचाई खण्ड, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो को जमा करना अनिवार्य होगा। उल्लिखित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन प्रपत्र क्य करने एवं जमा करने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

क. सं.	वाहन संख्या	मॉडल	मात्रा नगमें	जमानत धन राशि	वाहन जहाँ उपलब्ध है	बोली में भाग लेने हेतु निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	ट्रक संख्या- यू0एच0वी0/305	टी0डी0वी0	01 नग	रु.5000.00	कार्यालय सहायक अभियन्ता चतुर्थ, लिफ्टसिंचाई खण्ड, नलकूप कालोनी, बघाड़ा इलाहाबाद।	118.00
2	जीप संख्या- यू0पी0-70ए 5063	महेन्द्रापीजो	01 नग	रु.4000.00	कार्यालय सहायक अभियन्ता चतुर्थ, लिफ्टसिंचाई खण्ड, नलकूप कालोनी, बघाड़ा इलाहाबाद।	118.00

- बोली दाता को आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक कालम को पूर्ण रूप से भरकर धरोहर धन राशि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा तथा बिना पहचान-पत्र के किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- जी0एस0टी0 में पंजीकृत बोली दाता ही बोली में भाग ले सकेंगे, एवं पैन कार्ड की छाया प्रति जमा करना होगा।
- आवेदन प्रपत्र का मूल्य किसी भी दश में वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन प्रपत्र क्य से प्राप्त धन राशि राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
- नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
- उपरोक्त नीलामी के "वाहन जहाँ है जिस स्थिति में है" के आधार पर नीलामी की जायेगी।
- नीलामी किये जाने वाले वाहनों का निरीक्षण समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20.01.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में समय पूर्वाह्न 10.00 बजे सांय 4.00 के मध्य अंकित कार्य स्थल पर किया जा सकता है।
- वाहनों में समस्त पार्ट पुर्जे असेम्बल किये हुए हैं।
- उच्चतम बोली समिति के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी मानी जायेगी।
- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण बोली की 25 प्रतिशत धन राशि उसी समय नीलामी स्थल पर नगद बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा जिसमें धरोहर धन राशि सम्मिलित होगी। शेष 75 प्रतिशत धन राशि नीलामी स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धन राशि जब्त हो जायेगी।
- प्रत्येक बोली में बोली दाता को अगली बोली में रु. 500.00 का अन्तराल रखना होगा।
- नीलामी की अन्तिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
- नीलामी की बिक्री मूल्य पर जी0एस0टी0, सरचार्ज एवं अन्य कर आदि भी देय होगा।
- नीलामी प्रक्रिया एवं अन्य में अन्तिम निर्णय समिति का मान्य होगा।
- नीलामी की बोली संतोषजनक न होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।
- नीलाम किया गया वाहन उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त अद्यो हस्ताक्षरकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही उठाया जायेगा।
- कोई भी विवाद होने पर इलाहाबाद स्थित न्यायालय में ही वाद मान्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता

लिफ्टसिंचाई खण्ड,  
इलाहाबाद।